

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 22.11.2022

39 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 50 ग्राम यूरिया व 100 ग्राम नौसादर के साथ 01

अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय एवं अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी टीपी नगर उ०नि० कुँवर गौरव सिंह द्वारा 39 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 50 ग्राम यूरिया व 100 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त कनवा पुत्र हरेंद्र तिवारी निवासी निमियहवा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 335/2022 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कनवा पुत्र हरेंद्र तिवारी निवासी निमियहवा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 335/2022 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

39 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 50 ग्राम यूरिया व 100 ग्राम नौसादर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- का हृदयेश कुमार सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- का पप्पु गौतम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर